



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 828) पटना सोमवार 20 जुलाई 2026

सं० कारा/06(रा.मा.आ.)-58/2022-6906
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

17 जुलाई 2026

विषय:- बिहार राज्य की काराओं में मृत बंदियों के विधिक आश्रित/निकटतम परिजन या विधिक उत्तराधिकारी को मुआवजा भुगतान हेतु नीति निर्धारण।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के द्वारा बिहार राज्य की काराओं में मृत बंदियों के निकटतम परिजन को मुआवजा भुगतान करने हेतु नीति बनाये जाने के लिए निदेशित किया गया है। तदालोक में बिहार राज्य की काराओं में संसीमित बंदियों की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में मृत बंदी के विधिक आश्रित/निकटतम परिजन या विधिक उत्तराधिकारी को मुआवजा भुगतान करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

2. बिहार राज्य की काराओं में संसीमन के दौरान निम्न कारणों से बंदियों की मृत्यु अप्राकृतिक (Unnatural) मानी जाएगी:-

- (i) कारा में संसीमित किसी बंदी/बंदियों द्वारा दूसरे बंदी की हत्या।
- (ii) आत्महत्या।
- (iii) बाहरी तत्वों द्वारा हमले के कारण मृत्यु।
- (iv) गोलीबारी के कारण मृत्यु।
- (v) लापरवाही या प्रताड़ना के कारण मृत्यु।
- (vi) कारा में संसीमन के दौरान आकस्मिक मृत्यु :-

(क) प्राकृतिक आपदाएँ (भूकंप, बाढ़, डूबना आदि)

(ख) गैर प्राकृतिक शक्तियाँ (a) साँप का काटना (b) बिजली का झटका (c) दुर्घटनावश गिरना (d) जलने के कारण (e) सड़क/ट्रेन/वायुयान /नाव दुर्घटना (f) गैस रिसाव।

3. बिहार राज्य की काराओं में मृत बंदियों के विधिक आश्रित/निकटतम परिजन या विधिक उत्तराधिकारी को मुआवजा भुगतान करने की नीति निम्नवत् है:-

- (i) (क) प्राकृतिक मृत्यु (बीमारी/बुढ़ापा) की स्थिति में मुआवजा की राशि देय नहीं होगी।
(ख) यदि मृत्यु कारा से पलायन के दौरान या कारा के बाहर वैध हिरासत से पलायन के दौरान होती है, तो मुआवजा की राशि देय नहीं होगी।
- (ii) यदि किसी प्राकृतिक आपदा/विपदा के कारण आकस्मिक मृत्यु होती है, तो आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के प्रावधान के आलोक में कार्रवाई की जाएगी।
- (iii) बिहार राज्य की काराओं में संसीमित बंदियों की अप्राकृतिक (Unnatural) कारणों से हुई मृत्यु के मामले में बंदियों के विधिक आश्रित/निकटतम परिजन या विधिक उत्तराधिकारी को निम्नरूपेण मुआवजा देय होगा:-

क्र.सं.	मृत्यु के कारण	मुआवजा की राशि
(क)	कारा कर्मचारियों द्वारा यातना/मारपीट के कारण मृत्यु	₹5,00,000 /- (पाँच लाख रुपये) मात्र
(ख)	चिकित्सा पदाधिकारी/पारा मेडिकल कर्मचारी की लापरवाही के कारण मृत्यु	₹4,00,000 /- (चार लाख रुपये) मात्र
(ग)	कारा पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा कर्तव्य में लापरवाही के कारण मृत्यु	₹4,00,000 /- (चार लाख रुपये) मात्र
(घ)	बंदियों के आपसी झगड़े के कारण मृत्यु	₹4,00,000 /- (चार लाख रुपये) मात्र
(ङ.)	अन्य अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु	₹4,00,000 /- (चार लाख रुपये) मात्र
(च)	आत्महत्या	₹2,00,000 /- (दो लाख रुपये) मात्र

- (iv) अप्राकृतिक (Unnatural) कारणों से बंदी मृत्यु के मामले में संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नांकित समिति द्वारा जाँच/समीक्षा की जाएगी:-

(क)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(ख)	वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(ग)	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य
(घ)	काराधीक्षक	सदस्य सचिव

- (v) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति द्वारा बंदी मृत्यु से संबंधित प्रतिवेदनों, यथा-मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन, अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन, बंदी के कारा में प्रवेश के समय स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, चिकित्सा उपचार का विवरण (यदि कोई हो) तथा मृत्यु का अंतिम कारण प्रतिवेदन की जाँच एवं समीक्षा के उपरांत प्रावधानित राशि के मुआवजा हेतु स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रस्ताव/अनुशंसा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा।
- (vi) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना मुआवजा राशि की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

(vii) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति की अनुशंसा के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारी को आवंटन निर्गत किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा मृत बंदी के विधिक आश्रित/निकटतम परिजन या विधिक उत्तराधिकारी को 30 (तीस) दिनों के अन्दर मुआवजा की राशि उनके बैंक खाता में भुगतान कर भुगतान प्रमाण पत्र महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा।

4. कंडिका-03 में अंकित नीति के किसी भी प्रावधान को लागू करने के संबंध में उत्पन्न शंका के निराकरण की शक्ति महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना की होगी।

5. बंदियों की मृत्यु के मामले में मुआवजा देय होने पर उक्त राशि का व्यय माँग संख्या-22, मुख्य शीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्यशीर्ष-60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष-200 अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष-0011 मानवता के दृष्टिकोण से राहत, विपत्र कोड-22-2235602000011, विषय शीर्ष-37 01 अनुग्रह अनुदान के अन्तर्गत किया जाएगा।

6. उपरोक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-15.07.2026 को मद संख्या-05 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

7. यह आदेश संकल्प निर्गत होने की तिथि से लागू होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजीव जमुआर,
अपर सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 828-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>